

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p>	<p>नम्बर व अहकामज की तामीलमे</p>
-----------------------	---	--

24 11
2022

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से कोई अपरिहार
नहीं होने पर बार-बार अवज लगाने के बावजूद
वादी एवं वादी के अधिकार अनुपस्थित हैं। वादी एवं
वादी अधिकार अपने द्वारा प्रस्तुत वाद की लागू
खाने के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण वादी का वाद
अदम दायरी एवं अदम पेंची में खारिज किया
जाता है। निर्णय आज दिनांक 24/11/2022 को 24
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुनार
लेकर बाद लेख भण्डार है।



उप जिला कलक्टर,
लवाण

